



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1526) पटना, बुधवार, 17 सितम्बर 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 161, दिनांक 17 सितम्बर 2025--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम -12, 2017) की धारा 44 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, वार्षिक विवरणी फाइल करने के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19) 3801)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 161, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19) 3801)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th September 2025

S.O. 161, Dated 17th September 2025--In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, in respect of filing of annual return for the financial year 2024-25 onwards, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to two crore rupees, from filing annual return that said financial year.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-19) 3801)]

**By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.**

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1526-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**